Indian Streams Research Journal
Vol -1 , ISSUE –1, Feb - 2011
ISSN:- 2230-7850
Available online at www.lbp.world

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक भ्रष्टाचार का अध्ययन

संजीव कुमार राय
शोधार्थी (राजनीतिशास्त्र)

सारांश :

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में जनता जनप्रतिनिधियों को चुनकर उन्हें शासन–संचालन का सुअवसर प्रदान करती है कि वे लोक मर्यादाओं के अनुरूप आचरण करते हुए नैतिकता, ईमानदारी एवं सच्चरित्रता के साथ जनहित एवं देश के हित में कर्तव्य–पालन में प्रवृत्त होंगे तथा जन समस्याओं के समाधान के साथ–साथ समाज, देश तथा अपने क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि व्यवहार में इसका विपरीत रूप ही परिलक्षित होता है आश्चर्य तब होता है कि निर्वाचन के दौरान आदर्श की दुहाई देकर सत्ता की कुर्सी पर आरूढ़ हुए ये जनप्रतिनिधि उन्हीं आदर्शो की हत्या करने लगते है। संसद अथवा विधानसभाओं में घोटालों से संबंधित अनेकानेक प्रकरणों पर चर्चा के दौरान जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वह निश्चित रूप से राजनेताओं के बाह्य भ्रष्टाचार–विरोधी विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। संचार माध्यमों की सतर्कता के चलते ऐसे तमाम राजनेताओं की विकृत तस्वीर आज घोटाले के दर्पण में जनता के सम्मुख प्रतिबिम्बित हो चुकी है, जिन्हें कल तक वो अपने रहनुमा तथा देश एवं समाज की तकदीर समझती थी।

शोध–पत्र

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में राजनीतिक नेता और दल मतदान प्रणाली द्वारा सत्ता में आते हैं। भारत की राजनीति संयुक्त संसदीय प्रतिनिधीय लोकतांत्रिक राज्य के ढाँचे में ढ़ली है, जहाँ पर प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और बहु–दलीय तंत्र होता है। शासन एवं सत्ता सरकार के हाथ में होती है। संयुक्त वैधानिक बागडोर सरकार एवं संसद के दोनो सदनों, लोक सभा एवं राज्य सभा के हाथ में होती है। न्याय मण्डल शासकीय एवं वैधानिक, दोनो से स्वतंत्र होता है। संविधान के अनुसार भारत एक प्रधान, समाजवादी, धर्म–निरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य है, जहाँ पर सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। अमेरिका की तरह, भारत में भी संयुक्त सरकार होती है, लेकिन भारत में केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, जो कि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है। बहुमत की स्थिति में न होने पर सरकार न बना पाने की दशा में अथवा विशेष संवैधानिक परिस्थिति के अंतर्गत, केन्द्र सरकार राज्य सरकार को निष्कासित कर सकती है और सीधे संयुक्त शासन लागू कर सकती है, जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है।

18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक वोट देने और अपने नेताओं का चुनाव करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। हालांकि, यह लोगों द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की एक सरकार है, लेकिन आम आदमी अभी भी बहुत कुछ झेलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था के भीतर बहुत भ्रष्टाचार है।

भ्रष्टाचार का मतलब इसके नाम में ही छुपा है भ्रष्टाचार यानी भ्रष्ट आचरण। मतलब गलत काम करना भ्रष्टाचार पूरे भारत में महामारी की तरह फैल रहा है यह दीमक की तरह पूरे देश में धीरे–धीरे कम

होने की वजह बढ़ता ही जा रहा है आजकल लाखों करोड़ों का घोटाला होना तो जैसे एक आम बात हो गई है। जिस घोटालों से हम बचने के लिए न्याय की उम्मीद करते हैं वही न्याय व्यवस्था भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रहा है। भ्रष्टाचार एक सार शब्द है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ''निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति के 1997 दुरुपयोग भ्रष्टाचार के रूप में वर्णित है। लेकिन इस भ्रष्टाचार की भी सरलीकृत विवरण प्रतीत होता है। वास्तव में यह बहुआयामी एक बुराई है, जो धीरे–धीरे एक प्रणाली को मारता है। लोकाचार और व्यवस्था के बीच एक बुनियादी संघर्ष कमजोर हो गया है भारतीय राजनीति।''[1]

चन्दन मित्र के अनुसार ''भ्रष्टाचार अब सर्वव्यापी परिघटना के रूप में स्वीकृत हो चुका है। किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार का होना नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार का न होना चौंकाता है।''[2]

हमारे अधिकांश राजनीतिक नेता भ्रष्ट होने के लिए जाने जाते हैं। उनकी भ्रष्ट प्रथाएं अक्सर सुर्खिया में आती हैं लेकिन उन्हें शायद ही कभी इसके लिए दंडित किया जाता है। हमारे राजनेताओं की ऐसी मानसिकता और व्यवहार देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। यह काफी हद तक देश के विकास और विकास में बाधा है। भ्रष्ट भारतीय राजनीति के कारण देश का आम आदमी सबसे अधिक पीड़ित है। दूसरी ओर, मंत्री अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति और स्थिति का दुरुपयोग कर रहे हैं। आम जनता पर भारी मात्रा में कर लगाया जा रहा है। देश को विकसित करने के लिए इस पैसे का उपयोग करने के बजाय, भ्रष्ट राजनेता इसके साथ अपने बैंक खाते भर रहे हैं। यही कारण है कि हमने आजादी के बाद से जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं किया है।

भारत जैसे देश में राजनीति शायद हर क्षेत्र में कामयाबी और रातों रात अमीर बनने की कुंजी बन गई है। यही वजह है कि हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा की तर्ज पर राजनीतिज्ञों की जमात लगातार लंबी होती जा रही है। एक मामूली नगरपालिका पार्षद से लेकर देश के शीर्ष राजनीतिक पदों पर रहने वाले लोगों पर भी अक्सर भ्रष्टाचार के छींटे पड़ते रहे हैं।

भार्गवा के अनुसार ''भारतीय राजनीति की स्थिति यह है कि कई वर्षो से सरकार ने चुनावों को मजाक बनाने की कोशिश की है। कई राज्यों के प्रत्येक चुनाव में राजनीतिक ठगों द्वारा दूसरे के बदले में वोट डालना, वोट डालने से रोकना, हत्या, बुथों पर कब्जा करना और मतपेटियों को भरना नियम ही बन गया है''[3]

भारत जैसे देश में यह आम धारणा बन गई है कि एक बार सांसद बन जाने पर कम से कम सात पुश्तों के खाने–पीने का इंतजाम हो जाता है। इसलिए इसमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए कि चुनाव आयोग की तमाम पाबंदियों और चुनावी आचार संहिता के बावजूद लोकसभा और राज्यसभा चुनावों में करोड़ों का खेल होता है। तमाम लोग इस भ्रष्टाचार के सभी पहलुओं से अवगत होने के बावजूद चुप्पी साधे बैठे हैं। असली राजनीतिक भ्रष्टाचार की शुरूआत तो यहीं से होती है। तमाम दलों पर मोटे पैसे के एवज में टिकट बेचने के आरोप भी अब आम हो गए हैं. अब जो व्यक्ति पहले मोटी रकम देकर टिकट खरीदेगा और फिर करोड़ों की रकम फूंक कर चुनाव जीतेगा, वह सत्ता में पहुंच कर तो अपनी रकम तो सूद समेत वसूल करने का प्रयास करेगा ही।

मन्सुखानी के अनुसार ''यह आम धारणा है... कि पिछले सोलह वर्षो के दौरान मंत्री रहे कुछ लोगों ने अवैध रूप से धन कमाया, भाई–भतीजावाद फैलाकर अपने पुत्रों एवं रिश्तेदारों के लिए अच्छी नौकरियाँ हासिल कीं और सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता की किसी धारणा से सरोकार न रखने वाले लाभ अर्जित किए''[4]

बड़े राजनीतिक दलों की बात छोड़ भी दें, तो छोटे और क्षेत्रीय दल भी कम से कम राजनीतिक भ्रष्टाचार के मामले में पीछे नहीं हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद तो चारा घोटाले में जेल की हवा तक खा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा जैसी पार्टियों के नेता तो सिर से पांव तक इस भ्रष्टाचार में डूबे हैं। वहां मंत्री पर पत्रकार को जला कर मार देने का आरोप लगता है। लेकिन पैसों के बूते पर उसे भी मैनेज कर लिया जाता है। तमाम दलों में ऐसे नेता भरे पड़े हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार और अपराध के दर्जनों मामले लंबित हैं। कार्यपालिका की बात छोड़ दें

तो अब न्यायपालिका के दामन पर भी भ्रष्टाचार के धब्बे नजर आने लगे हैं। इस आरोप में अब तक विभिन्न अदालतों के कई जज भी बर्खास्त किए जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में करोड़ों का शारदा चिटफंड घोटाला किसी से छिपा नहीं है। इसे जिस तरह सत्तारुढ़ पार्टी के नेताओं और मंत्रियों का समर्थन मिला, वह जगजाहिर है। राजनीति और भ्रष्टाचार के बीच इस दोस्ती की शुरूआत अस्सी के दशक में ही हो गई थी। लेकिन अब इनके आपसी रिश्ते इतने मजबूत हो चुके हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं नजर आता। क्या यह सब ऐसे ही चलता रहेगा? देश के विकास के हित में इस पर तुरंत अंकुश लगाना जरूरी है। लेकिन यहां फिर वही सवाल उभरता है कि आखिर इसे रोकेगा कौन? जिन लोगों पर इसे रोकने की जिम्मेदारी है वहीं तो गले तक भ्रष्टाचार के इस कीचड़ में डूबे हैं।

आज राजनीति एक प्रकार का व्यापार बन गया है। नेताजी द्वारा पहले वोट खरीदने में निवेश किया जाता है। चुनाव जीतने पर सट्टा खरा उतरता है। चुनाव के बाद घूस के माध्यम से निवेश की गई रकम को वसूल किया जाता है। मतदाता भी व्यापार करता है। वह सड़क अथवा साड़ी के एवज में वोट देता है। वर्तमान में यह व्यापार नेताओं के पक्ष में झुका हुआ है। नेताजी को लाभ अधिक और मतदाता को कम मिल रहा है। यदि गम्भीर प्रत्याशियों की संख्या अधिक होगी तो मतदाता उसे चुनेगा जिससे उसे अधिकतम लाभ मिलेगा।

राजनीतिक भ्रष्टाचार में वृध्दि का दूसरा कारण है कि हमने लोकतंत्र को पार्टी तंत्र में बदल दिया है। किसी विषय पर अपना मन्तव्य बनाने के पहले विधायकों और सांसदों द्वारा पार्टी के आकाओं से हरी झंडी लेना आवश्यक हो गया है। जनप्रतिनिधि स्वयं अपनी बुध्दि से कार्य नहीं कर सकता है। वास्तव में मतदाता द्वारा जनप्रतिनिधि को नहीं, पार्टी को चुना जाता है। मतदाता को दो या तीन पार्टी के बीच चयन करना होता है। जनता को मात्र यह अधिकार रह गया है कि पार्टियों द्वारा प्रस्तुत मीनू में से किसी एक आइटम का चयन करें। जनता अपना मीनू नहीं बना सकती है।

भारत के लोगों को जागने और यह महसूस करने की आवश्यकता है कि राजनीतिक प्रणाली तब तक भ्रष्ट बनी रहेगी जब तक कि वे इसे होने नहीं देते। उन्हें एहसास होना चाहिए कि वे भ्रष्ट मंत्रियों द्वारा बार–बार बेइज्जत किए जा रहे हैं। मंत्रियों के भ्रष्ट आचरण से पूरे समाज पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। यह समय है कि हम अपने देश से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एकजुट हों। राजनीतिक व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने का एकमात्र तरीका सर्वसम्मति से आवाज उठाना है। हमें यह महसूस करने की आवश्यकता है कि हमारी ताकत हमारी एकता में निहित है और हमें इसका उपयोग प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए।

संदर्भ सूची :

1. दास, डॉ. एच. एन. : पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, अनमोल पब्लिकेशन (प्रा0) लिमिटेड, नई दिल्ली, 1998, पृ0 47
2. मित्र, चंदन : दि करप्ट सोसाइटी, पेंगुइन बुक्स इंडिया प्रा0 लिमिटेड, नई दिल्ली, 1998, पृ0 36
3. भार्गवा, जी. एस. : पॉलिटिक्स करप्शन इन इंडिया, पॉपुलर बुक सर्विसेज, नई दिल्ली, 1967, पृ0 55
4. मन्सुखानी, एच. एल. : 'करप्शन एण्ड पब्लिक सर्वेन्ट्स, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1997, पृ0 25